कार्यवृत्त

DESIGN, SUPPLY, INSTALATION, CONSTRUCTION, TESTING AND COMMISSIONING WORK OF 8.5 MLD MPS AND OTHER RELATED WORKS (CIVIL & E/M) AS PER TENDER DOCUMENTS INCLUDING ONE YEAR DEFECT LAIBILITY PERIOD AND FIVE YEAR MAINTENANCE AFTER COMPLETION OF DEFECT LIABLITY PERIOD AT SAKRAPUR & BHAGIRATHI-JANHAVI HOUSING SCHEME IN DISTT. KANPUR, INCLUDING HANDING OVER OF ALL WORKS TO LOCAL BODY AT DISTT, KANPUR

उपरोक्त वर्णित कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 23.11.2023 को अधिशाषी अभियन्ता अभियन्त्रण खण्ड जोन–4 के कक्ष में आयोजित प्री–बिड बैठक का कार्यवृत्त :–
उपस्थिति –

1. श्री आर0 के0 पाण्डेय, अधि0 अभि0 जोन–4 के0डी0ए0 7007794944
2. सुश्री माधवी कुशवाहा, सहा0 अभि0 जोन–4 के0डी0ए0 7905983604
3. श्री प्रवीण कुमार, अवर अभि0जोन–4के0डी0ए0 9918005554
4. श्री रवि प्रकाश सिंह, मे0 बाबा कन्स0 प्र0 लि0 7409099946
5. श्री विवेक कुशवाहा, मे0 जी0एस0जे0 इन्वो लि0 8279457843
6. श्री दीप कुमार, मे0 जी0एस0जे0 इन्वो लि0 7007952489
7. श्री रिषी राठौर, मे0 टेक्नो इकोनोमिक सर्विसेज नई दिल्ली 9058430149

बैठक में उपस्थित एजेन्सियों के प्रतिनिधियों/ई–मेल से प्राप्त queries के सम्बन्ध में एजेन्सियों को निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

1. विभिन्न एजेन्सियों द्वारा निविदा डालने की तिथि को दिनांक 28.11.2023 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता का0वि0प्रा0 द्वारा कार्यो की महत्ता के दृष्टिगत् निविदा की तिथि को बढ़ाये जाने से असहमति व्यक्त की गई।
2. एजेन्सियों द्वारा कार्य अनुभव के सम्बन्ध में विगत् 5 वर्षों के अनुभव अथवा विगत् 10 वर्षो के अनुभव की आवश्यकता के सम्बन्ध में वार्ता की गई तद्क्रम में अधि0 अभि0 का0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया है कि section-III pre-qualification/eligibility criteria के बिन्दु सं0 (14ए) के अनुसार विगत् 5 वर्षों में कराये गये समान प्रकृति के कार्यो से ही अनुभव में सम्मिलित किया जाना है।
3. उपस्थित एजेन्सियों के प्रतिनिधियों द्वारा सीवर लाइन से सम्बन्धित अनुभव मान्य है अथवा नही के सम्बन्ध में वांछना की गयी। तद्क्रम में अधि0अभि0, का0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि कार्य एस0टी0पी0 के निर्माण एवं संचालन से सम्बन्धित है। अतः समान प्रकृति के अनुभव ही एस0टी0पी0 के निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव सम्बन्धी कृत कार्य के अनुभव ही मान्य होगें।
4. एजेन्सियों द्वारा स्थल का विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम मे अधि0अभि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल 26.381552 अंक्षाश व 80.34949 6

माधवी कुशवाहा
सहायक अभियन्ता

देशान्तर पर अवस्थित है। स्थल का ले-आउट प्लान प्राधिकरण की बेवसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

5. एजेन्सियों द्वारा **SOIL TESTING REPORT,SUB SOIL WATER CONDITION** आदि के सम्बन्ध मे विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम में अधि0अभि0, का0वि0प्रा0 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निविदा शर्तो के अनुसार एस0टी0पी0 से सम्बन्धित डिजाइन आदि का सम्पूर्ण कार्य चयनित एजेन्सी द्वारा ही कराया जाना है।

6. एजेन्सी द्वारा एस0टी0पी0 से निकलने वाले वाटर डिस्पोजल हेतु नजदीकी नाले/ड्रेन तथा इनर्वट लेविल के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम में अधि0अभि0, का0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रीटेड सीवेज का डिस्पोजल निकटस्थ अवस्थित नाले में प्रवाहित होगा जो पान्डु नदी में मिल जायेगा। अपितु निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार एजेन्सियों द्वारा भी स्थल का स्वयं निरीक्षण कर स्थल की अद्यतन वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली जाये।

7. एजेन्सियों द्वारा **ई0एण्ड0एम0** से सम्बन्धित मदों के वेन्डर के सम्बन्ध में की गयी पृच्छा के क्रम में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया कि ई0एण्डएम0 से सम्बन्धित मदों के वेन्डर के सम्बन्ध में निविदा प्रपत्र में दी गयी शर्तो एवं विशिष्टियों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, एजेन्सी द्वारा प्रदत्त वेन्डर की सूची मान्य नही है।

8. एजेन्सियों द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित है अथवा नही के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। तद्क्रम में अधि0अभि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि बी0ओ0क्यू में उल्लिखित दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नही है। निविदादाता द्वारा निविदित दरों में जी0एस0टी0 अथवा अन्य करों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये दरों का उद्धरण किया जाये, जिस पर शासनादेश में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. एजेन्सियों की जिज्ञासा के क्रम में अधि0अभि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल की उपलब्धता का0वि0प्रा0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी परन्तु एस0टी0पी0 के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अन्य विभागों सें वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र एजेनसी द्वारा स्वयं प्राप्त किये जायेगे।

10. एजेन्सी द्वारा धरोहर धनराशि को बैंक गारन्टी के रूप में जमा किये जाने की मांग की गयी। जिसके सम्बन्ध में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धरोहर धनराशि बैंक गारन्टी के रूप में स्वीकार्य नही है। धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार ही जमा किया जाना आवश्यक है।

11. एजेन्सी की पृच्छा के क्रम में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्पादित कार्यो का भुगतान (सिविल/ई0एण्ड0एम) निविदा प्रपत्र के शैड्यूल-जे ब्रेक-अप आंफ पेमेन्ट्स के अनुसार ही किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये किसी अन्य शैड्यूल पर कोई विचार किया जाना सम्भव नही है।

12. बिजली के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में एजेन्सियों की पृच्छा के क्रम में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ट्रायल रन की अवधि तक बिजली बिल का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जायेगा तथा ट्रायल रन के उपरान्त सम्बन्धित कार्यो के कम्प्लीशन

माधवी कुशवाहा
सहायक अभियन्ता

के पश्चात् संचालन एवं रखरखाव की अवधि में बिजली के बिल का भुगतान का0वि0प्रा0 द्वारा वहन किया जायेगा।

13. अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारन्टी को निविदा शर्तो के अनुसार ही अवमुक्त किया जायेगा।
14. निविदा प्रपत्र में संलग्न फार्मेट–14 के सम्बन्ध में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया कि का0वि0प्रा0 से एजेन्सी को कार्यादेश निर्गत होने के 30 दिवस के अन्दर चयनित एजेन्सी द्वारा फार्मेट सं0–14 पर मैनूफैक्चरर अर्थराइजेशन सार्टिफिकेट का0वि0प्रा0 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
15. निविदा प्रपत्र में बिड वैलिडिटी के मिस प्रिंट के सम्बन्ध में अधि0अभि0 का0वि0प्रा0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि टेन्डर में बिड वैलिडिटी की वैधता केवल 90 दिन है तथा एस0टी0पी0 के संचालन एवं रखरखाव की अवधि 5 वर्ष है।
16. डी0एल0पी0 एवं ओ0एण्डएम0 की अवधि के सम्बन्ध में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कार्य सम्पादन के पश्चात् सक्षम ट्रांयल रन के उपरान्त कार्य कम्प्लीशन की तिथि से 12 महीने तक डी0एल0पी0अवधि है। डी0एल0पी0 अवधि के पश्चात् रखरखाव एवं संचालन की अवधि प्रारम्भ होगी, जिसकी कार्य अवधि 5 वर्ष होगी।
17. पम्पस् की कैपिसिटी एवं संख्या के सम्बन्ध में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निविदा प्रपत्र में ली गयी पम्पस की कैपिसिटी एवं संख्या ही वर्तमान में अन्तिम रूप से मान्य है।
18. डी0जी0 सेट हेतु प्लेटफार्म ओपेन टू स्कायी अथवा डी0जी0हाउस के सम्बन्ध में अधि0अभि0 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि डी0जी0 सेट की सुरक्षा एवं सुगम संचालन के दृष्टिगत डीजी0 हाउस ही निर्मित किया जाना है।

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

25/11/23

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–4),
का0वि0प्रा0,कानपुर.

पत्रांकः डी/164/अ0अ0–4/का0वि0प्रा0/23–24 **दिनांकः–25.11.2023**

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, महोदय कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर।
2. सचिव/अपर सचिव/मुख्य अभियन्ता, महोदय कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर।
3. उपस्थित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता एवं प्रतिनिधिगण
4. पी0डब्लू0सी0अभियन्त्रण जोन–4 को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–4),
का0वि0प्रा0,कानपुर.

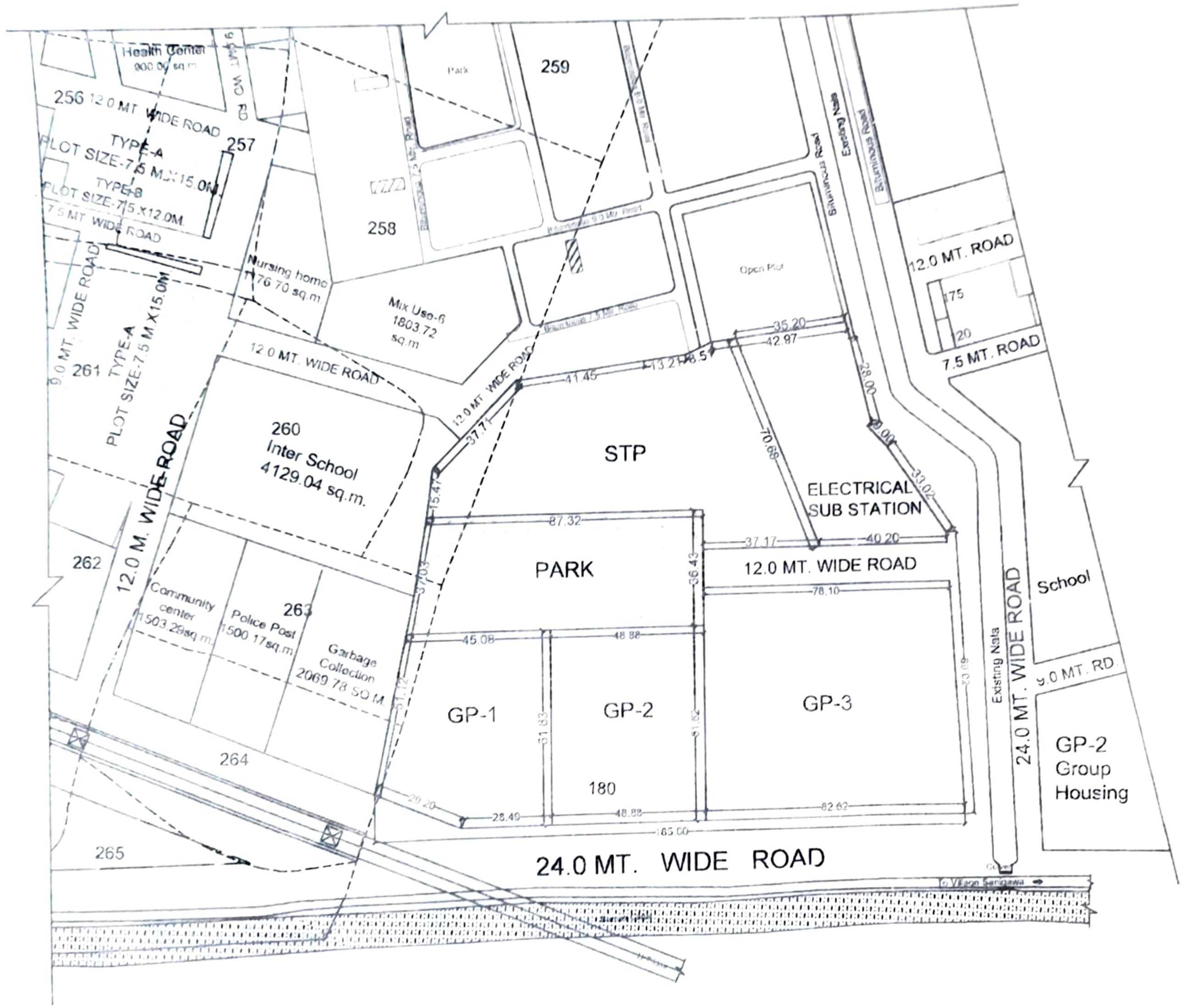

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

REVISED PART LAYOUT PLAN OF SAKRAPUR, KANPUR NAGAR.

AREA STATEMENT -

S.NO.	TYPE	AREA (SQ. MT.)
1	ELECTRIC SUB STATION	2400.00
2	STP	5050.00
3	GROUP HOUSING -1	3000.00
4	GROUP HOUSING -2	3000.00
5	GROUP HOUSING -3	5900.00

NOTE -

DATE -

SCALE - 1:2000

NORTH -

Swati 29/5/2023 DRAWN BY	CHECKED BY	AMEEN
TEHSILDAR	J.E.	A.E.
E.E.	C.E.	S.E.
T.P.	ADD. SEC.	V.C.